International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

कौशल विकास में स्थानीय निकायों की भूमिका

शशिकान्त राव
एम.ए.राजीनति विज्ञान
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

ग्राम पंचायतों व नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र वाले विषयों के अधिकार क्षेत्र वाले विषयों से संबधित कौशल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अगर इन निकायों के हाथों में हो तो शायद एक नई कौशल क्रान्ति का सूत्रपात हो सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क विभिन्न उपबंधों का अंतर्संबंध स्थानीय निकायों से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दिख भी रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह तालमेल ज़मीनी हकीकत बनकर भी उभरे।

भारत एक लोक कल्याणाकरी राज्य है। देश की व्यापक आबादी को ध्यान में रखते हुए अंतिम आदमी तक विकास का लाभ पहुंचाना सरकार का दायित्व है। इसके लिए आजादी के बाद से ही विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से कोशिशों एवं प्रयोगों का सिलसिला जारी है। इन योजनाओं का नाम चाहे जो हो, सबका लक्ष्य व्यापक आबादी का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना ही है। इस क्रम में अनुदान आधारित विभिन्न योजनाएं भी शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर विभिन्न प्रकार की पेंशन से लेकर आवास, कुआं या शौचालय बनाने की राशि देना हो, या फिर निःशुल्क अथवा सस्ती दर पर अनाज देना, सबका मकसद एक ही है। सवा अरब से भी ज्यादा आबादी वाले इस देश की अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनो ंके बल पर आखिर किस हदतक ऐसे कल्याणकारी कार्यों को प्रभावी और निरंतर बनाये रख सकती है? लिहाजा, व्यापक आबादी का क्षमतावर्द्धन करके उन्हें रोजगार या स्वरोजगार की ओर उन्मुख करना ज्यादा कारगर है।

उल्लेखनीय है कि पहले से ही केन्द्र सरकार के स्तर पर रष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण (एनएसडीए) गठित है। इसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) भी बनाया गया है। यह निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सरकार द्वारा गठित कंपनी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का भी गठन किया गया है । इन प्रयासों के माध्यम से देश में स्किल इंडिया मिशन की शुरूआत की गई है। साथ ही, 15 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। केन्द्र सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 भी बनाई है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर 15 जुलाई

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

2015 को पहली बार दुनिया भर में युवा कौशल दिवस का आयोजन हुआ। भारत में भी केन्द्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस अवसर पर युवाओं के कौशल संबंधी विषयों पर कार्यक्रम हुए।

भारत में कुशल मानव संसाधन की अत्यधिक कमी है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार हमारे देश में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिकों की संख्या मात्र 2.3 प्रतिशत है। जबकि दक्षिण कोरिया में यह संख्या 96 प्रतिशत है। ब्रिटेन में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, अमेरिका में 52 प्रतिशत तथा जापान में 80 प्रतिशत श्रमिक कुशल हैं। इसके कारण भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कौशल विकास को अहम समझा जा रहा है। भारत में आबादी का 54 प्रतिशत हिस्सा 25 साल से कम उम्र का है। देश में क्रियाशील आबादी 62 प्रतिशत है जो 15 से 59 साल आयुवर्ग की है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक तीस करोड़ लोगों के कौशल विकास का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

स्थानीय निकायों का महत्व

ज़ाहिर है कि आज भारत को विकास की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कौशल विकास को एक महत्वपूर्ण माध्यम के तौर पर मान लिया गया है। इसके क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य सरकार के अलावा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां तथा स्वयंसेवी संस्थायें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं लेकिन इस कार्यक्रम में अब तक स्थानीय निकायों को कोई खास दायित्व नहीं सौंपा गया है। संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन के आलोक में गठित ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों को वैधानिक तौर पर कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाना चाहिए। यह न केवल वैधानिक तौर पर आवश्यक है बल्कि व्यावहारिक तौर पर भी ऐसा किया जाना कौशल विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन में लाभप्रद होगा।

इसे स्पष्ट करने के लिए संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन के प्रावधानों एवं इसकी मूल भावना को समझना आवश्यक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की परंपरा बेहद पुरानी है। प्रेमचंद की कहानियों एवं उपन्यासों में इसकी झलक देखी जा सकती है। ब्रिटिश भारत में भी पंचायती व्यवस्था के रूप में स्थानीय स्वशासन को महत्वपूर्ण मानते हुए कई कानूनी प्रावधान किये गये थे। चार्ल्स मेटकाफ ने पंचायत को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी थी। लार्ड रिपन के कार्यकाल से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1953 तक पंयायती राज व्यवस्था की आवश्यकता बताई गई थी। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने भी खुशहाल भारत के लिए ग्राम–स्वराज पर सर्वाधिक जोर देते हुए पंचायतों को भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी इकाई बनाने की सलाह दी थी।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

चूंकि राज्य के नीति निदेशक तत्व कोई प्रावधान नहीं बल्कि महज किसी सदिच्छा की अभिव्यक्ति है, इसलिए देश में पंचायती राज लागू करने का सपना अधूरा रह गया। संविधान में पंचायती राज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं बनाये जाने के कारण भारत में पंचायती राज लागू करने में काफी विलंब हुआ। आज़ादी के बाद बलवंत राय मेहता समिति (1957), अशोक मेहता समिति (1977), पीवीके राव समिति (1985), एलएम सिंघवी समिति (1986) तथा सरकारिया आयोग (1988) आदि विभिन्न समितियों द्वारा पंचायती राज को सशक्त करने की सिफारिश हुई। वर्ष 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संविधान में 64वें संशोधन के जरिए पंचायती राज लागू करने का प्रयास किया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का खाका प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक में कतिपय संशोधन करके 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। यही कारण है कि इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

स्थानीय निकायः कार्यक्षेत्र व शक्तियां

संविधान में 73वें संशोधन ने केन्द्र और राज्य सरकार की तरह पंचायतों को तीसरी सरकार का संवैधानिक दर्जा दिया है। यही बात 74वें संशोधन के अनुसार नगर पंचायत के लिए लागू होती है। संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) में ग्राम पंचायतों 29 विषयों की शक्ति देने का उल्लेख किया गया है। इन 29 विषयों की सूची को संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची के रूप में जोड़ दिया गया है। इन कार्यों एवं अधिकारों से अब पंचायतों को वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गयी है–

- ग्राम स्तर ग्राम पंचायत,
- प्रखण्ड स्तर पर प्रखंड समिति
- जिला स्तर पर जिला परिषद

पंचायतों को स्वशासन की संस्था बनाने के लिए 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और

सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और उनका निष्पादन करने का अधिकार दिया गया है। कर, ड्यूटीज, टोल, शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार होगा। पंचायती राज लागू होने के बाद पंचायतों को फंड, फंक्शन एवं फंक्शनरीज यानी कोष, कार्य एवं कर्मी की शक्तियां देना एक आवश्यक कदम है। इस तरह स्थानीय निकाय का मतलब है तीसरी सरकार केन्द्र और राज्य के बाद यह गांव एंव नगर की सरकार है। यह एक संवैधानिक सरकार है। जिस तरह केन्द्र या राज्य की सरकारों को संविधान ने शक्तियां दी हैं, ठीक उसी तरह ग्राम एवं नगर पंचायतों को भी संविधान ने शक्तियां दी हैं।

संविधान की सातवीं अनुसूची में बताया गया है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों को कौन से काम करने हैं। ठीक उसी तरह संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में बताया गया है कि पंचायतों को कौन से काम करने हैं। बारहवीं अनुसूची में नगर निकायों को 18 प्रकार के कार्य सौंपे गये हैं। केन्द्र और राज्य सरकारें एक–दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। पासपोर्ट बनाने, रेल–डाकघर चलाने में राज्य सरकारें कोई टांग नहीं अड़ातीं। राज्यों के भीतर विधि–व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, उद्योग इत्यादि काम राज्य के ही है। इन मामलों में केन्द्र सरकार अगर कोई सहायता उपलब्ध कराती भी है तो उसकी योजना बनाने, निर्णय लेने और क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों का ही होता है। राज्यों को भी पंचायतों के मामले में यही रवैया अपनाना है। संविधान ने ग्राम एवं नगर पंचायतों को जो काम सौंपे हैं, उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप का कोई अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है।

कौशल विकास की दृष्टि से स्थानीय निकायों के महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र

कौशल विकास में स्थानीय निकायों की अनिवार्य भूमिका को समझने के लिए ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची में सौंपे गये कार्यों पर एक नजर डालना उचित होगा। ग्यारहवीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को सौंपे गये 29 कार्य इस प्रकार हैं:–

1. कृषि एवं कृषि–विस्तार	2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण
लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास	3. पशुपालन, डेयरी उद्योग, और कुक्कुट–पालन
4. मत्स्य उद्योग	5. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी
6. लघु वन उपज	7. लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
8. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	9. ग्रामीण आवासन
10. पेय जल	11. ईंधन और चारा
12. सडकें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	13. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है
14. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	15. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
16. क्षिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं	17. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
18. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा	19. पुस्तकालय
20. सांस्कृतिक क्रियाकलाप	21. बाज़ार और मेले

22. स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय	23. परिवार कल्याण
24. महिला और बाल विकास	25. समाज कल्याण विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण
26. अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा कमज़ोर वर्गों का कल्याण	27. सार्वजनिक वितरण प्रणाली
28. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण	

इसी तरह बारहवीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को सौंपे गये 18 कार्य इस प्रकार हैः–

1. नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना
4. सड़कें और पुल
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जन प्रदाय
6. लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, सफाई और कूड़ा–करकट प्रबंध
7. अग्निशमन सेवाएं
8. नगर वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि
9. समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा
10. गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन
11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन
12. नगरीय सुख–सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि
14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशासन और विद्युत शवदाह गृह
15. कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16. जन्म–मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी हैं
17. सार्वजनिक सुख–सुविधाएं, जिनके अन्तर्गत सड़कों पर प्रकाश पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं।

18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

उक्त दोनों अनुसूचियों पर नज़र डालें तो स्पष्ट हो जायेगा कि ग्राम एवं नगर पंचायतों को सौंपे गये कार्यों में से खास तौर पर आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजनाओं, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों, कृषि एवं कृषि–विस्तार, भूमि विकास, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट–पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और कार्फ वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा इत्यादि ऐसे कार्य हैं जिनका कौशल विकास कार्यक्रम से सीधा जुड़ाव है।

ग्राम एवं नगर पंचायतों को सौंपे गये अधिकांश कार्यों में किसी न किसी रूप में कर्मियों के प्रशिक्षण तथा हुनरमंद लोगों की तलाश की आवश्यकता होती है। इसलिए ऊपर की दोनों सूचियों को ध्यान से देखने तथा विभिन्न विभागों द्वारा सौंपी गयी शक्तियों का विवरण देखने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि कौशल विकास कार्यक्रमों में स्थानीय निकायों को स्पष्ट दायित्व है। यह अलग बात है कि अब तक इस चीज़ को स्पष्ट तौर पर स्वीकार करने की कोशिश नहीं की गई है। इस पहलू की उपेक्षा करने से कौशल विकास कार्यक्रम अपनी सीमाओं से निकल नहीं पायेगा।

इसी तरह, झारखण्ड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जिला, प्रखंड, पंचायत एवं ग्राम स्तर पर स्थानीय समितियों तथा पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे है। यहां तक कि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा चापाकल की मरम्मत से लेकर शौचालयों के निर्माण तथा पानी टंकी द्वारा जलापूर्ति की योजनाओं तक का अपने स्तर से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन समितियों द्वारा गत दिनों यूनिसेफ झारखंड के सहयोग से राजमिस्त्री (मेसन) के प्रशिक्षण हेतु अभिनव प्रयोग किया गया। यह कौशल विकास का ही एक प्रयोग है। ऐसे प्रयोगों में पंचायतों की अहम भूमिका संभव है।

पंचायती राज और नगर प्रशासन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की मूल भावना यही है। कि लोगों की ज़रूरत के अनुसार योजनाओं का निर्धारण हो तथा उनके क्रियान्वयन में आम नागरिकों की सक्रिय भूमिका तथा निगरानी हो। अगर कौशल विकास कार्यक्रम को सिर्फ महानगरों में बैठे अंग्रेजी सलाहकारों के भरोसे छोड़ दिया गया, तो संभव है कि उनके द्वारा ऐसे कार्यों का कौशल प्रशिक्षण ज्यादा करा दिय जाये, जिनकी उतनी आवश्यकता नहीं। दूसरी ओर, जिन कार्यों के हुनरमंद लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी उपेक्षा हो जाये।

वर्तमान नीतियां और स्थानीय निकायों से समन्वय

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह देखना प्रासंगिक होगा कि कौशल विकास योजनाओं में केन्द्र सरकार ने स्थानीय निकायों के लिए किस तरह की भूमिका निर्धारित की है। गत दिनो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नामक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। विश्व युवा कौशल दिवस पर 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 24 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संबंधी मार्गदर्शिका के प्रारंभ में भी इसके साझेदारी की सूची में स्थानीय प्रशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। इस योजना की सफलता के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार और युवाओं को प्रेरित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस मोबिलाइजेशन संबंधी कार्य में भी स्थानीय प्रशासन एवं पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका बताई गई है। इसके लिए देश के सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में कौशल मेला आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। कौशल मेला की तिथियों का समुचित प्रचार–प्रसार करके संबंधित क्षेत्र के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में स्थानीय निकायों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।

योजना की मार्गदर्शिका में प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों के कार्यों की निरंतर निगरानी पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए त्रैमासिक एवं मासिक स्तर पर क्षेत्र–भ्रमण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के औचक निरीक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इस दौरान प्रशिक्षण केंन्द्र की अधिसंरचना, निरीक्षण के समय उपस्थिति तथा विभिन्न गुणात्मक पहलुओं की जांच की जायेगी। इस दौरान निगरानी टीम को प्रशिक्षुओं के अलावा स्थानीय समुदाय से भी सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ताकि इस योजना का समूचित लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मार्गदर्शिका के उक्त अंशों को एक सामान्य नियम के बतौर देखा जाये तो कौशल विकास संबंधी सभी कार्यक्रमों में स्थानीय निकायों की सहभागिता का महत्व समझा जा सकता है। कौशल विकास योजनाओं के तहत जिन लाभुकों को लक्ष्य–समूह के तौर पर रखा गया है, उनके ग्राम एवं नगर पंचायत के प्रतिनिधियों का सीधा संबंध है। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से इन योजनाओं के समुचित प्रचार–प्रसार के साथ ही इनके बेहतर क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी। कई बार इन योजनाओं के प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा कतिपय अनियमितता की भी शिकायत मिलती है। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निगरानी से लाभुकों के चयन से लेकर प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं उपादेयता तक हर चीज़ पर नजर रखी जा सकती है।

इसी तरह, कौशल एवं उद्यमिता विकास राष्ट्रीय नीति 2015 की कंडिका 4.2.6 में लिखा गया है कि राज्य सरकारों को पंचायत स्तर पर कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। ज़ाहिर है कि पंचायत स्तर पर गठित किये गये कौशल विकास केन्द्रों के संचालन में ग्राम पंचायतों की अग्रणी भूमिका रहेगी। यह सच है कि मनरेगा, इंदिरा आवास योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि कार्यक्रमों में जिस तरह स्थानीय निकायों की स्पष्ट एवं अनिवार्य भूमिका निर्धारित की गई है, उस तरह की स्पष्टता कौशल विकास संबंधी योजनाओं के दस्तावेज़ों में अब तक दिखाई नहीं दी है लेकिन यह भी सच है कि संवैधानिक तौर पर स्थानीय स्वशासन का दायित्व वहन कर रही नगर एवं ग्राम पंचायतों की भागीदारी इन योजनाओं में स्वतः दिखाई पड़ जायेगी।

सभी राज्यों की सरकारों ने स्थानीय निकायों के लिए अलग–अलग विभागों में कार्य, कर्मी एवं कोष संबंधी शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियम बनाये हैं। जिला योजना समिति में भी स्थानीय निकायों की प्रमुख भूमिका है। लिहाजा, योजना निर्माण से लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों में कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों से स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सीधा एवं प्रभावी संबंध है। ज़रूरत इस बात की है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी इस महती भूमिका को समझते हुए कौशल विकास में योगदान करें केंन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों को भी कौशल विकास संबंधी नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करते समय स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष ज़ोर देना चाहिए।

References

Johanson, R. and A. V. Adams (2004). *Skills Development in Sub-Saharan Africa.* A World Bank Publication

Pillay, G. (2005). *Reforms in the Vocational Education and Training System in Korea*. Draft Working Paper, World Bank.

Planning Commission of India (2002). *Tenth Five Year Plan.*

Planning Commission of India (2002). *Economic Survey*

Hill, S and Chalaux, T, "Improving Access And Quality In The Indian Education System", OECD Economics Department Working Papers No. 885.

Hanushek, E. and L. Woessmann (2008), "The Role of Cognitive Skills in Economic Development", Journal of Economic Literature, Vol. 46, No. 3.

MHRD (2003a). Education for All National Plan of Action, Ministry of Human Resources Development, Government of India, New Delhi.

Mayer, D.P., Mullens, J.E. & Moore, M.T. (2000). "Monitoring school quality: an indicators report", Mathematical Policy Research,Inc. U.S. Department of Education.

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

Scheerens, J. (1997). Conceptual models and theory-embedded principles on effective schooling. School Effectiveness and School Improvement, 8,269 –310.

Ward, M., "A Book on Rural Education", Chapter 12, pp 286-316

Ballou, D. (1996). Do public schools hire the best applicants? The Quarterly Journal of Economics, 111, (1), 97-133.

Department Of Elementary Education, National Council Of Educational Research And Training (2013), "Quality Management In Elementary Education Under SSA"